

पत्रांक-5/बी01-19/2016.....

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

सुनील कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्रा0 शि0)
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत सहायक अनुदान-वेतन मद में स्वीकृत केन्द्रांश की राशि कुल रूपये 5,93,73,75,680/- (पाँच अरब तिरानवें करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार छः सौ अस्सी रू0) मात्र स्वीकृत राशि का आवंटन।

महाशय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-111-सर्व शिक्षा अभियान, उप शीर्ष-0201-सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0), विपत्र कोड संख्या-पी 2202011110201, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में निम्न प्रकार अंकित राशि आपके निस्तारार्थ रू0 5,93,73,75,680/- (पाँच अरब तिरानवें करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार छः सौ अस्सी रू0) मात्र आपको आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्रमांक	विषय शीर्ष	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	31 04- सहायक अनुदान-वेतन	0	5,93,73,75,680	5,93,73,75,680

तत्काल आवंटित राशि रू0 5,93,73,75,680/- (पाँच अरब तिरानवें करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार छः सौ अस्सी रू0) मात्र।

- मासिक व्यय विवरणी प्रतिमाह अवश्य भेजी जाए। व्यय विवरणी वांछित प्रपत्र में अपने या अधीनस्थ सभी निकासी पदाधिकारियों को सम्मिलित कर भेजा जाए। टी0भी0 नम्बर के अभाव में विपत्र की निकासी की वास्तविक निधि एवं तिथि अवश्य अंकित करें।
- मितव्ययिता अवश्य बरतें।
- पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।

5. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016, 2793 दिनांक-04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
6. कोषागार से विपत्र की निकासी करते समय प्राप्त आवंटन के शीर्ष का ही मोहर लगाया जाए।
7. उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-09 दिनांक-27.06.2016 के आलोक में आवंटित है।
8. राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश में अंकित प्रावधानों के अनुसार किया जाये।
9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में विहित प्रपत्र में महालेखाकार (ले0ह0) पटना को प्रेषित किया जाये।
10. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाये।

विश्वासभाजन,

ह0/-


(सुनील कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 65

पटना, दिनांक:- 23/6/16

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना/सहायक निदेशक (योजना), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/संबंधित सहायक प्रशाखा-05 एवं 08/रोकड़पाल/लेखापाल/विपत्र लिपिक/ आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



(सुनील कुमार सिंह),

सरकार के संयुक्त सचिव।

यु (सुनील सिंह)